PS/TL

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 717 /1981/2022/18-2 भोपाल, दिनांक 28 / 2 /2023

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम,
   मध्यप्रदेश।

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद / नगर परिषद,
   मध्यप्रदेश ।

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्र.क्र. 36/2022 (अनिल मेहता विरूद्ध राजस्थान शासन व अन्य) में दिनांक 27.07.2022 को पारित आदेश के अनुपालन बावत् ।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल द्वारा प्र.क्र. 36/2022 (अनिल मेहता विरूद्ध राजस्थान शासन व अन्य) में दिनांक 27.07.2022 को पारित आदेश के अनुसार भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की महत्वपूर्ण गाईडलाईन्सः "Guidelines for Greening of Urban Areas and Landscape, 2000" तथा "Action Plan for Flood proofing of cities/towns" के आधार पर म.प्र. के नगरों के सीमेंट कांक्रीट/डामरीकृत रोड निर्माण, पेवर ब्लॉक के कार्य/फुटपाथ निर्माण के परिपेक्ष्य में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:-

- शहरों मे सीमेंट कांक्रीट/डामरीकृत रोड व फुटपाथ पेवर ब्लॉक के आस-पास लगे पेड़ों के चारो तरफ न्यूनतम 1m x 1m की जगह में सीमेंटीकरण/डामरीकरण/पेवर ब्लॉक नहीं होने चाहिए। जिस जगह पेड़ के तने तक सीमेंटीकरण/डामरीकरण हो चुका है, वहां पेड़ से 1 m के घेरे में तोड़ना सुनिश्चित करें। नये पेड़ लगाने के लिए न्यूनतम 1.5m x 1.5m की जगह छोडी जाये । सडकों की चौडाई पेड़ों के तने तक नहीं होना चाहिए, ताकि कच्चा एरिया बारिश का पानी सोख सके एवं जीव-जंतुओं को कम तापमाप में बैठने का स्थान प्राप्त हो सके।
- रोड साइड पेवमेंट को बनाने के लिए कांक्रीट एवं टाईल का प्रयोग न करें; पोरस मीडियम जैसे कि पेवर ब्लॉक का प्रयोग करें।
- शहर में वृक्षारोपण के लिए विभिन्न स्थानीय पेड़ों का चयन करें, घास एवं मिट्टी की अनावश्यक खुदाई एवं सड़क के किनारे के पेड-पौधों की अनावश्यक छटाई न करें।
- झाड़ी व सूखी पत्तियों को एकत्रित कर जलाया न जाये, इनका उपयोग जैविक खाद बनाने में सुनिश्चित करें। शहर के पेड़-पौधों हेतु जैविक खाद का ही प्रयोग होना चाहिए ।
- निकाय को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर IEC (Information Education Communication) गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए, जिससे की छात्र व शहरी नागरिक स्थानीय Eco System के बारे में जागरूक हो सकें।
- शहर के रिक्त स्थानों पर जहा अगले कुछ वर्षो में निर्माण कार्य नहीं होना है, उसे ग्रीन स्पेस के रूप में विकसित किया जा सकता है।
- प्रदेश के विभिन्न स्थानों में भू-जल पर अतिरिक्त निर्भरता के कारण भू-जल का स्तर गिरता जा रहा है। इन स्थानों पर Rain Water Harvesting, वृक्षारोपण एवं उपचारित जल का पुनः प्रयोग सुनिश्चित करें। अनावश्यक कांक्रीटीकरण से बचें।

संचा... नगर ... आवक क्र. 537 दिनांक 01.05.23 शाखा ... संयु. संचा. (स्था.) आयुक्त

निरंतर.....2

- म.प्र. के शहरो में भारी वर्षा के चलते बाढ़ की समस्या बढ़ने के निम्नलिखित कारण हैं:-
  - ✓ बिना Storm water drainage system की प्लानिंग के शहरीकरण ।
  - ✓ जरूरत से ज्यादा अनावश्यक कांक्रीटीकरण के कारण बारिश का पानी भूमि सोख नहीं पाती और बाढ़ में परिवर्तित हो जाती है।
  - ✓ सडकों की मरम्मत के चलते उनकी हाइट बढ़ने से Plinth Sink कर जाती है ।
  - ✓ शहर के नाले सफाई में लापरवाही के चलते Demolition एवं सीमेंट के वेस्ट से चोक हो जाते है ।
  - ✓ अतिरिक्त रेत एवं मिट्टी बाढ़ के पानी से बहते हुए शहर के नदी तालाबों में एकत्रित होकर जल स्तर को कम करती है।
  - ✓ शहर के ड्रेनेट सिस्टम के व्यवस्थित तरीके से शहर के नदी तालाबों से जुड़े नहीं होना, बाढ़ की समस्या को और बढ़ाता है।

प्रदेश के शहरों के ग्रीन कवर में सुधार एवं Flood proofing के लिए उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(नीरज मण्डलोई)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मध्यप्रदेश, भोपाल।

पृ. क्र. क्रमांक 218 /1981/2022/18-2 भोपाल, दिनांक 25 / 2 /2023

1. आयुक्त, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल ।
2. वि. क.अ. -सह- आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास ।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल ।
4. प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल ।
5. प्रमुख अभियंता, मध्यप्रदेश अर्बन डेव्लपमेंट कंपनी लिमिटेड, भोपाल ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्र.क्र. 36/2022 (अनिल मेहता विरूद्ध राजस्थान शासन व अन्य) में दिनांक 27.07.2022 को पारित निर्णय ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मध्यप्रदेश, भोपाल ।